रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 279] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 1987/ज्येष्ठ 14, 1909
No. 279] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 1987/JYAISTHA 14, 1909

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1987

आदेश

का॰ आ॰ 558(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./87.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं॰ का. आ. 128(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध 5 मार्च, 1973 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 4 जून, 1987 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, की अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबन्ध तारीख 4 दिसम्बर, 1987 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाए;

और उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 3 जून, 1987 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 4 दिसम्बर, 1987 तक की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक के साथ पठित धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह तारीख 5 जून, 1987 से 4 दिसम्बर, 1987 तक की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखें।

[फा॰ सं॰ 2(1)/80-सी.यू.एस.]

अ॰ वि॰ गोकाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th June, 1987

ORDER

S.O. 558(E)|18FA|18AA|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)|18FA|18AA|IDRA|73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further period upto and inclusive of 4th June, 1987.

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto 4th December, 1987;

And, whereas the said High Court by its Order dated the 3rd June 1987, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period upto 4th December, 1987;

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial udertaking for a further period from 5th June, 1987 to 4th December, 1987;

[F. No. 2(1)|80-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987